संख्या-12/2016/667/37-1-2016-5(42)/2015

प्रेषक,

रजनीश गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक (प्रशासन एवं विकास)
पशुपालन विभाग,
उ0,प्र0, लखनऊ

पशुधन अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक: 02 मार्च, 2016

विषय:- मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के अनुपालन में पशुबलि/ पशु क्रूरता से बचाये गये पशुओं के निस्तारण हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1139/सा0-2/भाग-2/कोर्टकेस/2014-15, दिनांक 04-9-2015 के संदर्भ में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित याचिका (सिविल) संख्या 881/2014 गौरी मौलेखी बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13-7-2015 के अनुपालन में पशुबलि/पशु क्रूरता से बचाये गये पशुओं को कृषकों में, गर्भाधान/कृषि/कृषर्ण कार्य हेतु आवंटित/ सुपुर्दगी किए जाने के लिए निम्न दिशा निर्देश निर्गत किए जाते हैं:-

1- बचाये गये पशुओं को आवंटित/सुपुर्दगी में लेने हेतु आवेदक द्वारा स्वयं की पहचान प्रस्तुत की जाय। फोटो पहचान पत्र तथा किसान बही की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत की जाय।

2- सुपुर्दगी में लेने के इच्छुक आवेदक द्वारा निम्नानुसार शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि:-

(क) पशु प्राप्ति हेतु आवेदन, पशु हत्या के उदद्देश्य से नहीं किया जा रहा है।

(ख) मांगे जाने पर उसके द्वारा पशु को वापस कर दिया जायेगा। इस क्रम में उसे कोई भी हर्जाना अथवा व्यय भार देय नहीं होगा।

(ग) वह पूर्व में कभी भी पशु हत्या अथवा पशुओं के प्रति क्रूरता के प्रकरणों हेतु अभियोजित नहीं रहा है।

(घ) वह पूर्व में कभी भी पशुओ की हत्या/तस्करी के प्रकरणों में सम्मिलित नहीं रहा है, न ही उसे कभी भी पशुओं की हत्या/तस्करी हेतु अभियोजित किया गया है और न ही कभी वह इन अपराधों में सहयोगी रहा है।

(ङ) उसके द्वारा जिस पशु की प्राप्ति हेतु आवेदन किया जा रहा है, वह उसकी भली प्रकार देखरेख करेगा। पशुओं के बीमार पड़ने पर राजकीय पशुचिकित्सालय के पशुचिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा करायेगा तथा वृद्वावस्था अथवा दुर्घटना अथवा रोग के कारण मृत्यु की दशा में राजकीय पशुचिकित्सालय के पशुचिकित्साधिकारी से शव परीक्षण करायेगा।

(च) प्रस्तावित पशु को वह अनजान व्यक्ति को नहीं बेचेगा। वह इस पशु को परिचित तथा पशु की भली प्रकार देख रेख में सक्षम व्यक्ति को ही बेचेगा। विक्रय किये जाने पर बेचनामें की रसीद तथा विक्रय के अभिलेख सुरक्षित संभाल कर रखेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(छ) वह कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को पशु नहीं बेचेगा जो कि पूर्व में कभी भी पशुवध के व्यवसाय में सम्मिलित रहा हो अथवा पशुओं की तस्करी के प्रकरणों में सम्मिलित रहा हो अथवा अभियोजित किया गया है अथवा सहयोगी रहा हो।

(ज) उसके द्वारा पशु के परिवहन हेतु पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 के तहत पैदल पशु परिवहन की दशा में पैदल पशु परिवहन नियम 2001 अथवा वाहन से परिवहन किये जाने की दशा में पशु परिवहन नियम, 1978 के समस्त प्रावधानों का पालन किया जायेगा।

(झ) आवेदक का मोबाइल नं0 प्राप्त कर लिया जाय एवं सुपुर्द किये गये पशु के सम्बन्ध में औचक निरीक्षण किया जाय।

3- पशुओं को सुपुर्दगी में देने से पूर्व पशु स्वामी को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम,1960 की धारा 38 के तहत पशु परिवहन नियम,1978 अथवा पैदल पशु परिवहन नियम, 2001 के अनुसार अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी से पैदल परिवहन हेतु योग्यता का प्रमाण पत्र (Certificate of fitness for on foot transport) अथवा वाहन से परिवहन हेतु स्वस्थता प्रमाण पत्र (Certificate of fitness to travel by vehicle) प्राप्त कराया जाय। इन प्रमाण पत्रों के प्रारूप वहीं रहेंगे जो कि केन्द्रीय अधिनियम के उक्त नियमों में उल्लिखित किये गये है।

4- पशुओं की सुपुर्दगी के समय विशेष रूप से ध्यान दिया जाय कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 38 के तहत पशु परिवहन नियम 1978 के नियम 56 (ग) के अनुसार एक ट्रक में 6 से अधिक मवेशी नहीं भरे गये हों तथा नियम 56 (ड) के तहत जब ट्रक में मवेशियों का परिवहन हो रहा हो तब उसमें अन्य सामान अथवा माल नहीं ढोया जा रहा हो।

5- पशुओं के पैदल परिवहन की दशा में विशेष रूप से ध्यान दिया जाय कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 38 के तहत पैदल पशु परिवहन नियम, 2001 के नियम 12(2) के तहत एक वयस्क पशु को एक दिन में 30 कि0मी0 से अधिक पैदल चलाये जाने की अनुमति न दी जाय।

भवदीय,
रजनीश गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या-12/2016/667 (1)/37-1-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- समस्त जिलाधिकारी द्वारा निदेशक(प्रशा0 एवं विकास), पशुपालन
3- समस्त अपर निदेशक, ग्रेड-2, द्वारा निदेशक(प्रशा0 एवं विकास), पशुपालन।
4- समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा निदेशक(प्रशा0 एवं विकास), पशुपालन।
5- समस्त कोषाधिकारी द्वारा निदेशक(प्रशा0 एवं विकास), पशुपालन।
6- समस्त अधिकारी द्वारा निदेशक(प्रशा0 एवं विकास), पशुपालन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
दया शंकर सिंह
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।